एक नजर में

अटेंडेंट को दिया सुरक्षा व तकनीकी पहलुओं का ज्ञान

जबलपुर : मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी के नवनियुक्त उपकेंद्र परिचारक (सब स्टेशन अटेंडेंट) प्रशिक्षुओं के लिए नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआइ), शिवपुरी में इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किया गया। सत्र में ग्वालियर के कार्यपालन अभियंता पवन अहिरवार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ट्रांसमिशन सिस्टम की विश्वसनीयता के लिए सुरक्षित कार्यप्रणाली और तकनीकी समझ बेहद जरूरी है। -नप्र

परिवहन कर्मियों को राहत, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

जबलपुर : मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों से जुड़ी कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब यूएएन बनवाने, भविष्य निधि राशि के भुगतान और पेंशन जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारियों और उनके परिजनों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह आश्वासन नवागंतुक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कैलाश चन्द्र जोशी ने इन्टक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिया। -नप्र

डा. राखी वैश्य बनीं वेटरनरी महाविद्यालय की अधिष्ठाता

जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय में गुरुवार सुबह प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव सामने आया। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटरनरी महाविद्यालय, जबलपुर में प्रो. डा. राखी वैश्य को नया अधिष्ठाता नियुक्त किया है। वर्तमान अधिष्ठाता डा. आरके शर्मा को विवि के शोध कार्यों का प्रभार सौंपा है। विवि स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एक माह से तैयारियां चल रही थीं। -नप्र

डा. राखी वैश्य

नया टेंडर पुराने से बेहतर, ठेकेदार नहीं कर पाएंगे ब्लैकमेल : महापौर

बैठक ● सफाई पर गरमाया सदन, सामान्य सभा की बैठक में 19 प्रस्तावों पर चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुरः नगर निगम की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को कभी शुरु में तो नरम रही पर गर्मी बढ़ते ही गरमाने लगी। पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में आयोजित बैठक में शहर विकास से जुड़े और चौक-चौराहों के नाम महापुरुषों के नाम किए जाने सहित 19 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, जिसमें सफाई से जुड़े 16 नंबर के प्रस्ताव पर बैठक गरमा गई। विपक्ष ने सफाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए ठेके पर दी शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तो प्रस्ताव क्रमांक 18 में सफाई ठेकेदारों पर पेनाल्टी हटाए जाने के प्रस्ताव पर भाजपा पार्षदों ने भी आपत्ति दर्ज कराई। सदन में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जैसे-तैसे आंकड़ों के साथ कांग्रेस पार्षदों को शांत कराया तो लंच के बाद वे अपनों से ही घिरे नजर आए।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद कमलेश अग्रवाल, जीतू कटारे सहित, महेश राजपूत सहित कुछ अन्य पार्षदों ने प्रस्तावित सफाई के टेंडर में ठेकेदारों पर पेनाल्टी हटाएं जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया तो ठेकेदार निरंकुश हो जाएंगे। बैठक में सहमति न बनने पर निगमाध्यक्ष रिंकुज विज ने बैठक शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

सफाई व्यवस्था बेदम, सीएसआइ घूम रहे वाहनों पर: बैठक की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने जोन के सभी 16 मुख्य स्वच्छता निरीक्षक (सीएसआइ) को वाहन सुविधा दिए जाने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बेदम है। सीएसआइ जमीनी स्तर पर सफाई का निरीक्षण करने की बजाये वाहनों में घूम रहे हैं। उन्होंने नियम नहीं होते हुए दी गई वाहन सुविधा वापस लेने कहा।

बिना ई-अटेंडेंस हो रहा भुगतानः कांग्रेस पार्षद वकील अंसारी, सत्येंद्र चौबे, विधायक प्रतिनिधि कल्लन गुप्ता ने भी वार्डों की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके वार्डों में 40 की जगह आधे सफाई कर्मचारी ही दिए जा रहे हैं।

सफाई में सुधार न होने के बाद भी पुराने ठेकेदारों की मियाद बढ़ा दी गई है। अब नया टेंडर लगाया गया है। इसमें भी पुराने ठेकेदारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक में बिना ई-अटेंडेंस के भुगतान करने के भी आरोप लगाए गए।

सुपर सकर मशीन की आवश्यकताः कांग्रेस पार्षद दल के मुख्य सचेतक अयोध्या तिवारी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि जबलपुर नगर निगम को अंडरग्राउंड नाले नालिया साफ करने के लिए एक और सुपर सकर मशीन की बेहद आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले वार्डों में जिनमें गोल बाजार, राइट टाउन, नेपियर टाउन आदि क्षेत्र शामिल है यहां अधिकांश अंडरग्राउंड नाले हैं। एक मशीन होने के कारण सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था में बहुत दिक्कत जाती है।

सदन के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं, दूसरे पक्ष भी पहुंचा, हंगामा- महात्मा गांधी वार्ड में चाट बेचने वाले ठाकुर चाट की घर की महिलाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। हाथों में इंसाफ तख्तियां लेकर महिलाएं, बच्चे, पुरुष सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि कांग्रेस पार्षद पर हर्षित यादव द्वारा अतिक्रमण करार देकर उनकी रोजी रोटी छिन ली गई। वहीं दूसरा पक्ष भी पहुंच गया और ये आरोप लगाया कि चाट के व्यापार के नाम पर तत्वों का यहां जमावड़ा लगाया जाता है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर धरना खत्म कराया।

नगर निगम सदन में सामान्य सभा की बैठक में अपनी बात रखते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ● नईदुनिया

नए टेंडर के नियम व शर्तें पुराने से ज्यादा ठीक

सदन में महापौर ने कहा कि ठेके पर अब तक दी जा रही सफाई व्यवस्था के हाल को देखते हुए वे भी सफाई का पुनः ठेका देने के पक्ष में नहीं हैं। 31 मार्च को सफाई ठेका समाप्त हो गया था इसलिए उन्हें छह माह का एक्सटेंशन दिया गया है। महापौर ने कहा कि सदन में जो नया सफाई का टेंडर लगाया गया है उसमें शामिल टेंडर के नियम और शर्तें पुराने से बेहतर है। उन्होंने डंके की चोट पर पर कहा कि प्रस्तावित टेंडर ऐसा है कि नगर निगम को ठेकेदारों के समक्ष झुकना नही पड़ेगा वे नगर निगम को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को यह कहते हुए चुप करा दिया कि नगर निगम में 4138 कर्मचारियों में 3260 की ई-अटेंडेंस लग रही है। ई-अटेंडेंस न लगाने पर 14 करोड़ का भुगतान भी रोका गया है। उन्होंने कहा कि सीएसआइ को वाहन सुविधा इसलिए दी गई है ताकि वे सभी वार्डों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में सुधार ला सके।

सुनवाई का मौका दिए बिना कोई नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी की भी नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सीईओ जिला पंचायत उमरिया के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत ग्राम सभा मोबिलाइजर की नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। उमरिया निवासी प्रियंका यादव की ओर से अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्ति दी गई। एक शिकायत पर जांच के बाद नियुक्ति निरस्त कर दी गई। दलील दी गई कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए नियुक्ति निरस्त करने का आदेश पारित किया है। आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया व अनावेदिका रंजना यादव को नियुक्ति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त आदेश पारित करने से पहले सीईओ ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गई और इसलिए उसे अनसुना कर दोषी ठहराया गया।

यूका के जहरीले कचरे से निकली राख की आकलन रिपोर्ट पेश करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने रामकी व री-सस्टेनेबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में दबाई गई यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से निकली 900 मीट्रिक टन राख की टाक्सिसिटी के संबंध में आकलन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने के संबंध में कार्य-योजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। जिनकी मृत्यु के बाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि पूर्व में पारित आदेश के अनुसार यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है।

अनुविभागीय अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी

जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व आदेश का पालन न किए जाने के रवैये पर अनुविभागीय अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अवमानना याचिकाकर्ता जमरा, तहसील चंदला, जिला छतरपुर निवासी गिरिजा बाई अहिरवार की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा।

124 करोड़ का जुर्माना स्थगित करने पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की एकलपीठ ने पन्ना जिला न्यायालय द्वारा अवैध खनन के बड़े मामले में लगाया गया करीब 124 करोड़ रुपये का जुर्माना स्थगित करने का आदेश अगली सुनवाई तक रोक दिया है। सअनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।

दरअसल, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने एक आवेदक की शिकायत पर उप संचालक खनिज प्रशासन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गुनौर की जांच रिपोर्ट के बाद नियम विरुद्ध तरीके से गिट्टी के अवैध खनन पर यह फैसला सुनाया था। आवेदक ने शिकायत की थी कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित क्रशर के लिए पत्थर निकालने का कार्य स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खुदाई कर कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपये की रायल्टी चोरी हो रही है। कलेक्टर ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला अनावेदक ने मात्र 99,300 घन मीटर की रायल्टी जमा कराई थी।

शहडोल के विशेष न्यायाधीश की कार्रवाई निरस्त

जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यह स्थापित कानून है कि जहां स्वीकृति एक पूर्व शर्त है, वहां स्वीकृति के बिना लिया संज्ञान अमान्य है। यदि कार्य आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है, तो कोर्ट ऐसी स्वीकृति के अभाव में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। कोर्ट ने शहडोल के विशेष न्यायाधीश की कार्रवाई को निरस्त कर दिया जिसके तहत उप निरीक्षक के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर समन जारी किया था।

दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़ों ने किया बेहाल, दो दिन में तीन डिग्री बढ़ेगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुरः मौसम में गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, गुरुवार को भी सुबह से ही तेज धूप से शहर में दिन की शुरुआत हुई, दोपहर को गर्म हवाओं के झोंकों ने लोगों को परेशान किया।

गुरुवार को तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों तक तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

उत्तरी हवा से तीन डिग्री गिरा रात का पाराः मौसम अभी शुष्क रहेगा, 28 अप्रैल तक जरूर मौसम की रंगत बदल सकती है। फिलहाल गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान जहां 41.6 डिग्री रहा। वहीं उत्तर पूर्वी हवा से रात का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री कम होकर 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

झुलसाएगी गर्म हवाः मौसम विभाग आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही लू की संभावना जताई है। यानि आगामी दिनों में गर्मी का असर बढ़ेगा। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े परेशान करेंगे। गुरुवार को भी तेज धूप महसूस हुई। हवा की दिशा उत्तर पूर्वी रही परंतु हवा में गर्माहट रही। सिर और चेहरे को बिना ढंके घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था।

चटख धूप में गमछा व दुपट्टा बांधकर निकलते हुए राहगीर व वाहन चालक ● नईदुनिया

कक्षा पांचवीं तक 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल

जिले में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश शासकीय एवं अशासकीय सभी विद्यालयों पर लागू होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 18 अप्रैल को जारी आदेश के तहत स्कूलों का समय सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया था, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि अब परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूर्ण अवकाश घोषित कर दिया गया है।

स्टेट बार चुनाव के स्वीकृत नामांकन 119 से बढ़कर 121 हुए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव में जमा किए गए स्वीकृत नामांकनों की संख्या 119 से बढ़कर 121 हो गई है। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एसके पालो ने दी। उन्होंने अवगत कराया कि नामांकन प्रपत्रों की जांच प्रक्रिया विधिवत संपन्न की गई। कुल 138 नामांकन प्रपत्रों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 119 प्रपत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर स्वीकार किए गए, जबकि 19 प्रपत्र विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए। अस्वीकृत 19 नामांकन प्रपत्रों में से 11 प्रपत्र अभ्यर्थियों के अधिवक्ता संघों में पदाधिकारी होने के कारण निरस्त किए गए। इसके अतिरिक्त, 5 प्रपत्र अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होने व तीन प्रपत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण अस्वीकृत किए गए। एक प्रकरण ऐसा भी पाया गया, जिसमें अभ्यर्थी संघ का पदाधिकारी होने के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण में भी संलिप्त था। अस्वीकृति के विरुद्ध कुल 10 प्रकरणों में अपील प्रस्तुत की गई। हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी द्वारा इन अपीलों पर विस्तृत विचार करते हुए दो आपराधिक प्रकरणों में अपील स्वीकार की गई।

स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : प्रभारी सीएमएचओ गुरुवार को मनमोहन नगर स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वार्ड, इमरजेंसी, ओपीडी, लैब, एक्स-रे कक्ष सहित संपूर्ण अस्पताल परिसर का विस्तृत अवलोकन किया और व्यवस्थाएं देखी। साथ ही सहयोगी स्टाफ से चर्चा भी की। प्रभारी सीएमएचओ डा. नवीन कोठारी ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी डा. अंशुल शुक्ला की उपस्थिति में अस्पताल परिसर निरीक्षण किया। साथ ही टीकाकरण केंद्र एवं एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन, डाक्टरों एवं समस्त स्टाफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्टाफ के कौशल, मरीजों के प्रति उनके सकारात्मक व्यवहार एवं सेवाभाव की प्रशंसा करते हुए इसे सराहनीय बताया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यूसीएचसी मनमोहन नगर में शीघ्र ही ब्लड स्टोरेज यूनिट प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मरीजों के पंजीयन को और अधिक सुगम एवं डिजिटल बनाने के उद्देश्य से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

सीएमएचओ के साथ मनमोहन नगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी व अन्य।

रिकवरी की राशि ब्याज के साथ लौटाएं : कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने पेंशन एंड एकाउंट विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता से रिकवरी की राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाएं। इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सुनील कुमार सेन की ओर से अधिवक्ता प्रेमेन्द्र सेन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट आदेश हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती।

त्रिपुरी चौक शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुरः त्रिपुरी चौक स्थित शराब दुकान की अव्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना ने दुकान के सामने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं, बच्चे और शिवसैनिक मौजूद रहे। शिवसेना के राज्य उप प्रमुख शैलेंद्र बारी ने आरोप लगाया कि दुकान के खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है और यहां 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि आहाता बंद होने के बाद भी दुकान के आसपास खुले में शराब पिलाई जा रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आबकारी अधिकारी के नाम एक ज्ञापन गढ़ा थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक चन्द्रभान झा को सौंपा।

टाइप-1 डायबिटीज प्रभावितों के लिए क्लीनिक शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : जिला अस्पताल प्रशासन ने टाइप-1 डायबिटीज़ से प्रभावित लोगों के लिए विशेष देखभाल की दिशा में कदम उठाते हुए चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार को फॉलोअप क्लिनिक चलाया जा रहा है। यह क्लिनिक शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक अस्पताल के ओपीडी नंबर नौ में लगेगा। प्रभावित लोगों को अनुभवी डाक्टरों द्वारा इलाज, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा व इंसुलिन की मासिक आपूर्ति निश्शुल्क प्रदान की जाती है।

देय तिथि से पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश शासन से मांग की है कि पेंशनर्स को दो प्रतिशत महंगाई राहत जनवरी 2026 से स्वीकृत कर भुगतान करने के आदेश जारी करें। 10 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय की बेंच एवं न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारी एंव पेंशनर्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि महंगाई का असर दोनों पर सामान रूप से पड़ता है। अतः यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। एसोसिएशन के डा. अरुण पांडेय, वीपी शुक्ला, रूपकिशोर प्यासी, डा. एमएलवी राव, केके शुक्ला ने मांग की है कि जो महंगाई राहत केंद्र ने दी है, ठीक इसी प्रकार प्रदेश के पेंशन को महंगाई राहत दी जानी चाहिए।

कार्यालय कुलसचिव
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
फोनः 0751-2970519, E-mail- registrar@rvskvv.net
क्रमांक/जन.सं./कु.स./विधि/2025-26/223 ग्वालियर, दिनांकः 23/04/2026
आम-सूचना बावत् कैविएट
विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन क्र./आई.पी.आर.ओ./कु.स./भ. एवं प्रो.प्र./विज्ञापन क्र./32/2026-27/16 दिनांक 23.04.2026 एवं विज्ञापन क्र./आई.पी.आर.ओ./कु.स./भ. एवं प्रो.प्र./विज्ञापन क्र./33/2026-27/20 दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से कृषि महाविद्यालय, खण्डवा में सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, प्रधानपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष कैविएट प्रस्तुत की जा रही है, जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rvskvv.net पर उपलब्ध है। कुलसचिव
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

आम सूचना
आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार श्रीमती कुसुम गोहल पति स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद गोहल ने पटवारी हल्का गढ़ा, नं.ब. 599, प.ह.नं. 28/33, तहसील गोरखपुर, जिला जबलपुर, स्थित खसरा नं. 152/21 के रकवा 2700 वर्गफुट (0.0250 हेक्टेयर) को उसके अंदर निर्मित मकान सहित क्रय करने का सौदा उसके स्वामी श्री विजय कुमार भूरा पिता स्व. श्री हरनाम सिंह भूरा से किया है, जिसका निकट भविष्य में रजिस्ट्री बैनामा होना है। जिस किसी व्यक्ति / वारसान, बैंक / वित्तीय संस्थान, शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संस्थान को किसी प्रकार से कोई आपत्ति हो, तो मूल दस्तावेजों सहित मेरे कार्यालय में प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अंदर आपत्ति पेश करें। समयावधि बीत जाने के बाद किसी प्रकार से कोई आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी एवं मेरे पक्षकार द्वारा उपरोक्त संपत्ति का रजिस्ट्री बैनामा स्वयं या सुविधानुसार नामों पर निष्पादन करा लिया जावेगा।
जयदीप कौरव
(एडवोकेट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)
407, साउथ सिविल लाईन्स,
जबलपुर, मो. 9111955390

CHANGE OF NAME
It is for general information that I, JITENDRA KUMAR BARMAN S/o SANTOSH KUMAR, aged about 36 years, by faith Hindu, Residing at House No. 28, Ward No. 15, Devguwan Mohalla, Katangi Pondi, Jabalpur Madhya Pradesh, PIN- 483105, declare that name of my son has been wrongly written as ANUSHKA BARMAN in his ADHAAR Card No. - 9406 0077 1037. The actual name of my son is ANSH BARMAN, which may be amended accordingly. This is to certify that I have complied with other legal requirements in this connection.
JITENDRA KUMAR BARMAN

कार्यालय आयुक्त
नगर पालिक निगम जबलपुर
पत्र क्रमांक : संपदा(लीज)/2026/13
जबलपुर, दिनांक - 21.04.2026
लीज नाम परिवर्तन सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमति ज्योति चांदवानी पत्नि श्री अनिल कुमार चांदवानी ने म्यु. प्लाट क्रमांक 35/1, डायवर्सन प्लाट क्र. 791, डायवर्सन शीट नंबर-155-डी, भंवरताल एक्सटेंशन स्थित रूपाली कमर्शियल काम्प्लैक्स बिल्डिंग के तल मंजिल की दुकान नंबर- 7 का निर्मित क्षेत्रफल- 165 वर्गफुट के अविभाजित भाग क्षेत्रफल 33 वर्गफुट पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी को भी आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कमरा नंबर-23, संपदा शाखा में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। सहा. आयुक्त (सम्पदा)
नगर निगम जबलपुर

नाम सुधार
Name- Sunita Bai Kulkhandev मेरे पुत्र का ARMY NO 2711535M, Rank L/NK, Name Narendra Kumar, Unit - 18 Grenadiers, Village- Dungri, Post- Mohana, Tehsil- Mohan Badodiya, Distt Shajapur, State Madhya Pradesh, Pin code - 465226 की आज दिनांक को शपथ पूर्वक निम्नानुसार कथन करती हूँ कि यह कि मैं उपरोक्त पते की निवासी हूँ। यह कि मेरे पुत्र के आर्मी रिकॉर्ड में मेरा नाम Sunita Bai Kulkhandev का नाम Sunita Bai दर्ज है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम Sunita Bai Kulkhandev है। जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा सही नाम Sunita Bai Kulkhandev को मेरे पुत्र के आर्मी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। यह कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति अवलोकनार्थ साथ लाई हूँ जिन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कि शपथ पत्र मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।
Sunita Bai Kulkhandev

कार्यालय आयुक्त,
नगर पालिका निगम जबलपुर
पत्र क्रमांक-संपदा (लीज)/2026/14
जबलपुर, दिनांक - 21/04/2026
लीज नाम परिवर्तन सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमति प्रीति दुबे, पत्नि श्री कृष्ण कुमार दुबे ने म्यु. प्लाट क्रमांक -1/1, डायवर्सन प्लाट क्र.- 856, डायवर्सन नंबर- 254, भंवरताल एक्सटेंशन स्थित लक्ष्मण अपार्टमेंट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के फ्लेट नंबर- 4 के निर्मित क्षेत्रफल- 900 वर्गफुट के अविभाजित भाग क्षेत्रफल- 225 वर्गफुट पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी को भी आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कमरा नंबर- 23, संपदा शाखा में प्रमाण सहित अपत्ति प्रस्तुत करें।
सहा. आयुक्त (संपदा), नगर निगम, जबलपुर

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, मंडल कार्यालय, 1227, शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
Email - cs8243@pnb.bank.in
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:
ई-नीलामी दिनांक एवं समय -14.05.2026 दोपहर 12:00 बजे से 05:30 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:30 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 14.05.2026 को सायंकाल 05:30 बजे तक
निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 10000/- (रूपए दस हज़ार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा: व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.) **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 1. श्रीमती विनीता पंत पति श्री मुनीश पंत,** पता 1: 1935, डिफेंस कॉलोनी, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) - 482001, पता 2: प्लॉट नंबर 61, घाना मेन रोड के पास, तहसील पनागर, जबलपुर (म.प्र.) - 482005, **पता 3 :** सी/ओ पायस हेल्थकेयर, वार्ड नं.73, करमेता, जबलपुर, (म.प्र.) - 482002- **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 2. श्री मुनीश पंत पिता श्री मोहन चंद्र पंत,** पता 1: 1935, डिफेंस कॉलोनी, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) - 482001, पता 2: प्लॉट नंबर 61, घाना मेन रोड के पास, पनागर, जबलपुर (म.प्र.) - 482005, **पता 3 :** सी/ओ पायस हेल्थकेयर, वार्ड नं.73, करमेता, जबलपुर, (म.प्र.)-482002- **खाता संख्या : 324300NC00011276**	अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग, अंश व निर्माण सहित प्लॉट नंबर 61, खसरा नंबर 282/2 के भाग पर निजी ले-आउट पर डायवर्टेड भूमि खसरा नंबर 281/2 (रकवा 0.091 हेक्टेयर), खसरा नं. 280/2/5, (रकवा 0.112 हेक्टेयर) एवं खसरा नंबर 282/2 (रकवा 0.112 हेक्टेयर) अर्थात कुल रकवा 0.315 हेक्टेयर, जिसमें से बंधक क्षेत्रफल 20 फीट X 45 फीट = 900 वर्ग फीट (83.64 वर्ग मीटर), मौजा घाना, पटवारी हल्का नंबर 43 (घाना), तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.), दिनांक 27.12.2021 के पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार, **चतुर्सीमाः उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** करमीत जी की संपत्ति, **पूर्व:** प्लॉट नंबर 62, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर 60, **मालिक एवं बंधककर्ता-** श्रीमती विनीता पंत पति श्री मुनीश, पंत और श्री मुनीश पंत पिता श्री मोहन चंद्र पंत, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB3243000010**	अ) 12.04.2023 ब) 20.12.2024 स) भौतिक आधिपत्य द) रू. 23,61,215.40 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 21,11,000.00 ब) 2,11,100.00 स) 14.05.2026 द) 10,000.00
2. शाखा : वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) **(उधारकर्ता)** **मेसर्स पद्मावती ट्रेडर्स, प्रोप. श्री सालिकराम धाबाले** वार्ड क्मांक 12, चतेरा रोड, शीतलामाता मंदिर के पास कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.) 481445 **(उधारकर्ता और बंधककर्ता)** **श्री सालिकराम धाबाले पिता श्री श्रीपतराव धाबाले** वार्ड क्मांक 12, चतेरा रोड, शीतलामाता मंदिर के पास कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.) - 481445 **खाता संख्या: 6419008700000494 और 6419009300000307**	मौजा-सतारा में स्थित आवासीय संपत्ति, पीएच नंबर 10(10/2), आरएनएम और तह - कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.), खसरा नंबर 16/13 (नया), 16/3 (पुराना) क्षेत्र 0.022 हेक्टेयर (2400 वर्ग फीट) और 16/17 (नया), 16/03 (पुराना) क्षेत्रफल - 0.008 हेक्टेयर (800 वर्ग फीट), कुल क्षेत्रफल - 0.030 हेक्टेयर (3200 वर्ग फीट) **चतुर्सीमा : (खसरा संख्या 16/17 के लिए) - उत्तर -** विक्रेता की अविकसित भूमि, **दक्षिण -** क्रेता की भूमि, **पूर्व -** अविकसित भूमि, **पश्चिम -** उत्तमचंद की अविकसित भूमि, **चतुर्सीमा : (खसरा संख्या 16/13 के लिए) - उत्तर -** विक्रेता की अविकसित भूमि, **दक्षिण -** श्री संजय लोलेकर की अविकसित भूमि, **पूर्व -** अविकसित भूमि, **पश्चिम -** उत्तमचंद की अविकसित भूमि, **मालिक एवं बंधककर्ता -** श्री सालिकराम धाबाले पिता श्री श्रीपतराव धाबाले **नीलामी संदर्भ संख्या: PUNB0641902**	अ) 26.07.2021 ब) 29.10.2021 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 44,67,024.00 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 84,36,000.00 ब) 8,43,600.00 स) 14.05.2026 द) 10,000.00

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है
सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना
नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, "जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।
स्थानः जबलपुर, दिनांक 23.04.2026 पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी